JPD-6/447

CIN; U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

शेड नं. 6, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
टेली--फैक्स नं. 0141–2747039,
वेबसाईटः– www.jaipurdiscom.com
ई–मेलः–caoatr@jvvnl.in

क्रमांकःजे.पी.डी./ मुलेअ (लेकरा)./राजस्व/पत्रा.555(vii)/प्रे. 1265 जयपुर, दिनांक 20.09.16

श्रीमान लेखाधिकारी (ज.न.वृ/ज.जि.वृ./पवस),
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.....।

विषयः– विद्युत बिलों में संग्रहित नगरीय उपकर का नगरीय निकायों के सार्वजनिक रोशनी के बिलों के विरुद्ध समायोजन के संबंध में।

नगरीय उपकर के संग्रहण, समायोजन, उपयोग एवं नगरीय निकायों की सार्वजनिक रोशनी के बिलों के संबंध में आदेश कमांक पीए/सीएओ/डीएलबी/ब. घो/288/2010/1403 दि. 06.07.2010 एवं संशोधित आदेश क. 10252 दि. 31.10.2011 प्रकिया निर्धारित करते हुए जारी किये गये थे।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा उक्त आदेशों के क्रम में निम्नानुसार संशोधत प्रकिया आदेश क्र. प.6(ट) (319) लेखा/डीएलबी/अरबन सेस/2016/5733 दि. 01.07.16 द्वारा निर्धारित की गई हैः–

1. शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से संग्रहित नगरीय उपकर की सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार की संचित निधि (consolidated fund) (बजट मद 0043–800–(03)) में 1 जुलाई 2016 से 30 दिवस के भीतर बिना किसी कटौती के जमा करायी जावेगी।
   अतः सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 1 जुलाई 2016 से MIS 3.1 एवं 3.2 में विद्युत बिलों में संग्रहित (Collected) नगरीय उपकर का नगरीय निकायों की सार्वजनिक रोशनी के बिलों के विरुद्ध समायोजन न करें एवं यदि ऐसा समायोजन किया जा चुका हो तो उसे रद्द (Reverse) कर एटीसी (ATC) लेखाधिकारी (रोकड), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वृत्त लेखाधिकारी द्वारा सार्वजनिक रोशनी के बिलों की कुल राशि में से उक्त आदेश दि. 06.07.210 एवं 31.10.2011 के क्रम में समायोजन योग्य राशि का दावा संबंधित

नगरीय निकाय से प्रमाणित करवा कर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नगरीय निकायवार श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. वर्ष 2010–11 की खपत को आधार मानते हुए प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत बढोतरी करते हुए निकायवार दावा सत्यापन होने के पश्चात् प्रतिमाह श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2010–11 की खपत को आधार मानते हुए केवल 5 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत खपत की सीमा तक का भुगतान राजस्थान शहरी विकास निधि से किया जाएगा।
4. निर्धारित सीमा (105 प्रतिशत वार्षिक) से अधिक विद्युत खपत होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा ऐसे अधिक विद्युत उपभोग की राशि का विवरण 30 दिन के भीतर सीधे ही संबंधित नगरीय निकाय के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर वसूली की जावेगी।

(एम.एस.पालावत) 20/9/2016
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रबंध निदेशक अजमेर डिस्कॉम / जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर / जोधपुर।
2. श्रीमान मुख्य अभियंता(JZ/KZ/BZ/), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (ज.न.वृ / ज.जि.वृ. / पवस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. श्रीमान सहायक अभियंता (O&M), जयपुर डिस्कॉम, ...।

VKIA वर्ड सिटी

20.9.16
वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व)